

नगर पंचायत
अधिकारी
दफ्तर की कार्यालय
में जारी हुए

21/04/23

वकील उमरचक्र उपर अर्पित का कथन है कि पूर्व अधिभाषक द्वारा अर्पित का उल्लेख पेशी में करते से बना कर शर्त का एवं अर्पित के अधिभाषक दूसरे मापान्य में बरख के। अतः जानकारी से दिवांन से ज. प. अन्तर नियम देखा है।

वकील ~~उमरचक्र~~ के नियम पर आपत्ति है। अतः मापान्य में 500 रु कोश पर ज. प. सीनार नियम जाकर मूल अर्पित अन्तर पर को जाते है। पञ्चवली फंसल शुमार को जाकर अन्तर से मूल के जोड़ बाद जाकर दायित्व दफ्तर हो। मूल अर्पित के संलग्न रहे। बी